

12/11/17

(फाइट टैक), जायपुर

पत्रावली पेश। पत्रावली दिनांक 11/11/08 से वाले

सम्मन लम्बित हैं। दिनांक 26/11/17 एवं 17/11/17

की आदेशिका द्वारा सम्मन क्रिये रजि. A.D

भेजने एवं समीक्षा पेश हेतु आदेशित किया।

अवलोकन देने के पश्चात की वारी वकील द्वारा

न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है।

न्यायालय से यह प्रतीत होता है कि परिवारी

को सम्मन की तामील वसलिए नहीं हुई है कि

न्यायालय ^{सम्मन} डाक मसूल समय पर नहीं की

गई है जो ऐसे तामील हेतु प्रभारणीय है,

दने में वारी असफल रहते अतः न्यायालय

६

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फाइट टैक)

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

आदेश की बालना नही करने एवं अपुन आभवाही में
सम्मन तलावी न करने के कारण 09R2 CPC के
तहत उक्त वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली
शुमार केसल हो 52 नम्बर से कम होकर तकील

दफ्तर हो।

४

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक), जोधपुर

